राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4367/2010

ओम प्रकाश प्रजापत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर दिनांक 16.10.1971 के आदेश के द्वारा की गई, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने 27.10.1971 को कार्यभार ग्रहण कर लिया और उसे दिनांक 27.10.1972 से स्थाई कर दिया। अपीलार्थी को 5.2.1979 के आदेश के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद से पद परिवर्तन करते हुए कनिष्ठ लिपिक के पद पर लगाया गया और उक्त आदेश में यह अंकित किया गया कि आदेश जारी होने के तीन माह की अवधि में अपीलार्थी को टाईप टैस्ट परीक्षा पास करना होगा। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने 19.2.1979 को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया और विभाग द्वारा ली गई टंकण परीक्षा 09.05.1979 को पास कर ली। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.12.1983 के द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। बाद में अपीलार्थी को अन्तिम रूप से उसे कार्यालय सहायक के पद पर आदेश दिनांक 29.1.2008 के द्वारा पदोन्नत किया गया और अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर कार्यालय सहायक के पद से 31.12.2008 को सेवानिवृत हो गया। अपीलार्थी की टंकण परीक्षा पास करने की दिनांक 9.5.1979 से सेवा की गणना करते हुए 18 वर्षिय द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। उसे आदेश दिनांक 10.06.2009 के द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 19.02.1997 के स्थान पर दिनांक 19.11.1999 से दिये जाने का आदेश पारित किया।
2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि आदेश दिनांक 10.06.2009 को अपास्त किया जाये और अपीलार्थी को जो पूर्व में दिनांक 09.05.1979 से सेवा की गणना करते हुए 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया था, उसे बहाल किया जाये।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि चयनित वेतनमान नियमित नियुक्ति की तिथि से ही देय है। प्रत्यर्थीगण के पत्र दिनांक 24–6–1981 के बिन्दु सं. 2 में वर्णित किया गया है कि "प्रयोगशाला सहायक का संवर्ग परिवर्तित करके, कनिष्ठ लिपिक नियुक्त करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। दिनांक 7–11–1975 के पश्चात् कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों को दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।'' विपक्षीगण के ध्यान में आने पर 27 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृति के समय नोट डालकर 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 19–2–1997 के स्थान पर दिनांक 19–11–1999 से संशोधित किया गया एवं अधिक भुगतान की वसूली करने के निर्देश दिये गये, क्योंकि अपीलार्थी ने दक्षता परीक्षा दिनांक 19–11–1981 को उत्तीर्ण की है। अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की दिनांक से मानी गयी है एवं चयनित वेतनमान की गणना दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से की गयी है, जो नियमानुसार सही है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। आलौच्य आदेश दिनांक 10.06.2009 पारित किये जाने के उपरांत प्रत्यर्थी विभाग ने कार्यालय आदेश दिनांक 16.01.2009 (अनुलग्नक–10) में यह आदेश दिया है कि अपीलार्थी को टंकण की परीक्षा उर्त्तीण करने की दिनांक 09.05.1997 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर उनकी सेवा नियमित की जाती है तथा अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने में उनकी सेवाएं दिनांक 09.05.1997 से ही गिनी जायेगी। अतः अपीलार्थी की सेवा की गणना दिनांक 09.05.1997 से गिनी जानी चाहिए। परिणामस्वरूप अपीलार्थी के संबंध में पारित आदेश दिनांक 10.06.2009 (अनुलग्नक–6) निरस्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवा की गणना दिनांक 09.05.1979 से करते हुए अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाये तथा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.06.2009 (अनुलग्नक–6) की पालना में कोई वसुली की गई है तो अपीलार्थी से वसुल की गई राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से लोटाई जाये। अपीलार्थी को उपरोक्त आदेशानुसार समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)